


# फर्द अहकाम

न्यायालय शेवती बनाम श्री. लिकारत गिमाते

मुकदमा संख्या/वर्ष 168/2020 : \_\_\_\_\_ / 20

क्र०स०	दिनांक आज्ञा या कार्यवाही	आज्ञा विस्तृत रूप से	विशेष वि
	29/12/21	<p>प्राथमिकी मूलवाप में बिडा प्राथमिक स्विकार होने पर तलब की जर्ने मूल रूप में बिडा प्राथमिक स्विकार किया जाकर खारिज किया जा तलाब के आता उक्त प्राथमिकी को डाली मूलवाप जानना करे और मिला नही होने से उक्त प्राथमिकी डालना मिला खारिज किया जाता है प्राथमिकी मूलवाप आता खारिज करे नही जा तलाब के ही सिले इफ्तार है।</p> <p style="text-align: right;">   <b>उपखण्ड न्यायाधीश</b>  <b>जयपुर, इंदौर (सांगानेर)</b> </p>	

